

B-3
Anx-13

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ।

तथा मे,

प्रबन्धक,

सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर,
कीठी गेट, हापुड़
गाजियाबाद

पत्रांक सं० शि० सं०/ 3234-36

/93-94 दिनांक 14-9-93

विषय :— अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) "ब" श्रेणी की मान्यता के विषय में।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्या 217/15-6-92-18 ए.स. (7)/89 दिनांक 11-5-92 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय की कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे।

प्रधानाध्यापक	एक
सहायक अध्यापक	चार
लिपिक	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा / प्रसार / क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। शासकीय विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ० प्र० बैसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीया,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ।

पृ० सं० शि० सं०/

/93-94

दिनांक

14.9.93

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा में सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

- 1—अपर शिक्षा निदेशक (बैसिक) उ० प्र० शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 2—सचिव उ० प्र० बैसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3—समस्त जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ मण्डल, मेरठ। गाजियाबाद
- 4—लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी
- 5—जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी
- 6—उप विद्यालय निरीक्षक / शिक्षा अधीक्षक / अधीक्षिका जनपद। गाजियाबाद
- 7—कार्यालय गाइड फाईल

MEENAKSHI YADAV
Principal

Smt. Brahmadevi Saraswati Balika Vidya Mandir

श्रीमती ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ।

पत्रांक सं० शि० सं०/ 3234-36

/93-94 दिनांक 14-9-93

विषय :— अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) "ब" श्रेणी की मान्यता के विषय में।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्या 217/15—6—92—18 एस. (7)/89 दिनांक 11—5—92 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे।

प्रधानाध्यापक	एक
सहायक अध्यापक	चार
लिपिक	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभावा / प्रसार / कापट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। शासकीय विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीया,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ

पृ० सं० शि० सं०/

/93—94

दिनांक

14.9.93

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्योंवाही हेतु प्रेषित।

- 1—अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र० शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 2—सचिव उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3—समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ मण्डल, मेरठ। गाजियाबाद
- 4—लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी.....
- 5—जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी.....
- 6—उप विद्यालय निदेशक / शिक्षा अधीक्षक / अधीक्षिका जनपद। गाजियाबाद
- 7—कार्यालय गाइड फाईल।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ।

MEENAKSHI YADAV
Principal

Smt. Brahmadevi Saraswati Balika Vidya Mandir
Sr. Sec. School, Keshav Nagar
Modinagar Road, Hapur-245101

पूजा

श्रीमती ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
केशव नगर, मोदीनगर मार्ग, हापुर